कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश कपड़ा व्यापार संगठन, II फ्लोर, मुखर्जी मार्केट सुभाष मार्ग, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**315 / 2008 (प्रति प्रेषित)।**
प्रार्थी की ओर से	**श्री परमेश मिश्रा, श्री काशी प्रसाद शर्मा व श्री टी0 एन0 अग्रवाल।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. प्रार्थना-पत्र संख्या-315 / 2008 में व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.6.08 को प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा शॉल, लोई, कम्बल, फ्लालेन का कम्बल एवं कम्बल मिल मेड आदि वस्तुओं को कर मुक्त घोषित करने की मॉग की गयी थी।

2. व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सुनवाई के पश्चात दिनांक 8 अगस्तर, 08 को आदेश पारित करते हुए लोई, शॉल व मिल मेड कम्बल को टेक्सटाइल मेडप की श्रेणी में मानते हुए 4% की करदेयता निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर सम्बन्धित व्यापारी द्वारा माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील दाखिल की गयी जिस पर माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.08 से **पावरलूम पर बने और बिना सिले हुए कम्बल, लोई और शॉल पर करदेयता निर्धारित करने हेतु** उक्त मामला पुन: पुनर्विवेचन, **मूल्याँकन एवं जॉच कर पुन: आदेश पारित करते हुए प्रतिप्रेषित किया गया।**

3. माननीय अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है कि व्यापारी पावर लूम से बने और बिना सिल हुए कम्बल, लोई व शॉल पर करदेयता जानना चाहते हैं। माननीय अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि धारा-59 के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मिल मेड कम्बल को टेक्सटाइल मेड अप की श्रेणी में रखने का कमिश्नर के पास क्या आधार था। कम्बल को तो किसी अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। शॉल और लोई को हैण्डलूम पर बनने की दशा में कर मुक्ति हासिल है, अन्यथा नहीं। कमिश्नर ने इन तीनों वस्तुओं को टेक्सटाइल मेड अप की श्रेणी में रखने का प्रयास किया है जिसका कोई स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता। " अत: माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त वस्तुएं टेक्सटाइल मेड अप में आती हैं अथवा नहीं, इसकी जॉच करने एवं दिनांक 24.10.08 को जारी विज्ञप्ति द्वारा कतिपय अनुसूची-1 व 2 में जो संशोधन किये गये हैं, उनका संज्ञान लेने के निर्देश दिये गये हैं।

4. प्रतिप्रेषित वाद की सुनवाई हेतु व्यापारी को बुलाया गया। व्यापारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं एक लिखित स्पष्टीकरण भी दाखिल किया गया।

5. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा अपने पत्र संख्या-206, दिनांक 22.4.09 द्वारा कहा गया है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में स्वयं यह अंकन किया गया है कि जन सामान्य के बीच टेक्सटाइल से तात्पर्य कपड़े का है तथा कम्बल, शॉल व लोई को कपड़ा नहीं कहा जा सकता तथा अधिकरण द्वारा स्वयं यह अंकित किया गया है कि कम्बल को किसी अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। शॉल व लोई को हैण्डलूम में बनने की दशा में ही कर मुक्ति प्राप्त है, अन्यथा नहीं। एडिशनल कमिश्नर,

ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा यह बताया गया है कि कम्बल, शॉल व लोई न तो टेक्सटाइल है और न ही टेक्सटाइल मेड अप है तथा अनुसूची भाग-1, क्रमांक-21 के अन्तर्गत केवल हैण्डलूम पर बने शॉल व लोई कर मुक्त है, अन्यथा स्थिति में शॉल व लोई जो हैण्डलूम से न बने हों तथा कम्बल अवर्गीकृत होने के नाते 12.5% की दर से कर योग्य होना चाहिए।

6. सुनवाई के समय उपस्थित व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 24.10.08 की विज्ञप्ति के पश्चात जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार वुलेन फ्रैब्रिक को भी अनुसूची भाग-1 के क्रमांक-21 में सम्मिलित कर लिया गया है तथा वूलेन कम्बल को बिक्रीकर विभाग भी वूलेन फ्रैब्रिक मानता है तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में आयुक्त, बिक्रीकर, विधि अनुभाग द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1977 को जारी परिपत्र संख्या-विधि--128 / 1977, संख्या-विधि-1(1) सी-6 (77-78)-3227 / मुख्यालय द्वारा भी उक्त परिपत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वूलेन कम्बल, ऊनी फ्रैब्रिक के अन्तर्गत आते हैं। माननीय सदस्य अधिकरण द्वारा निर्णय में भी दिनांक 24.10.08 द्वारा विज्ञप्ति में किये गये परिवर्तनों को भी ध्यान में रखते हुए वाद निर्णीत करने के निर्देश दिये गये हैं।

7. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1I, भाग-क की प्रविष्टि-16 निम्नवत है:-

16	Bed sheets(other than unstitched bed sheets), pillow cover & other textile made ups.

8. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 दिनांक 24.10.08 के पूर्व की स्थिति निम्नवत है :-

21	Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed dyed or embroidered

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर की अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 दिनांक 24.10.08 के पश्चात की स्थिति निम्नवत है :-

21 दिनांक 24.10.08 के पश्चात	Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed dyed or embroidered; Dhoties and Saries; textiles of following varieties manufactured on powerloom excluding the items described in schedule-II:- (a) cotton fabrics of all varieties ; (b) rayon or artificial silk fabrics, including staple fibre fabrics of all varieties (c) **woolen fabrics of all varieties;** (d) **fabrics made of a mixture of any two or more of the above fibres, viz. cotton, rayon, artificial silk, staple fibre or wool, or of a mixture of any one or more of the said fibres with pure silk fibre;** (e) canvas cloth. (vide Noti. no.-KA.NI.-2-3025 / XI-9 (1) / 08.....dated 24.10.08 effective from 24.10.08)

उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 24.10.08 के पश्चात " Dhoties and Saries.................. canvas cloth " बढ़ाया गया । ऊनी कम्बलों की करदेयता के बारे में शासन ने न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त संख्या-एस0 टी0-2-872 / दस-77-6 (12) / 77, दिनांक 13.7.77 द्वारा यह सूचित किया है कि कम्बल ऊलेन फ़्रैब्रिक के अन्तर्गत आते हैं । दिनांक 24.10.08 के पश्चात शासन की विज्ञप्ति संख्या-3025, दिनांक 24.10.08 द्वारा सभी प्रकार की ऊलेन फ़्रैब्रिक को तथा मिक्चर आफ फ़्रैब्रिक्स को अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 में सम्मिलित कर दिया गया है । अत: व्यापारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.10.08 की विज्ञप्ति के पश्चात एवं न्याय विभाग के परामर्श से शासन द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में कम्बल ऊलेन फ़्रैब्रिक की श्रेणी में आने के कारण दिनांक 24.10.08 के पश्चात ऊलेन फ़्रैब्रिक की भाँति कर योग्य होने चाहिए । व्यापारी ने बताया इसी प्रकार पावरलूम से बनी लोई व शॉल भी कपड़े के एक निश्चित साईज में कटे हुए टुकड़े होते हैं तथा दिनांक 24.10.08 के पश्चात अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 के अन्तर्गत ऊलेन फ़्रैब्रिक के अन्तर्गत आनी चाहिए ।

9. मेरे द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत तर्कों व साक्ष्यों तथा माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय, शासन के न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त जारी परिपत्र एवं एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा की आख्या एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया और पाया गया कि **उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1I, भाग-क की प्रविष्टि-16 के अन्तर्गत Textile made up की श्रेणी में आने वाले सिले हुए कम्बल तथा जमाये हुए कम्बल व मिन्क कम्बलों के अतिरिक्त** दिनांक 24.10.08 के पश्चात अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 में ऊलेन फ़्रैब्रिक एवं फ़्रैब्रिक्स के मिक्चर को सम्मिलित किये जाने के पश्चात बिना सिले हुए पावरलूम पर बने ऊनी शॉल, ऊनी लोई व ऊनी कम्बल अनुसूची-1 की प्रविष्टि-21 में आने के कारण कर मुक्त रहेंगे ।

10. तदनुसार व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ।

11. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्पयूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 8, दिसम्बर, 2009

ह0 /- 8.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कार्यालय कमिश्नर वा...

8/12/09

प्रमाणित प्रतिलिपि